

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)

टेलीफैक्स नं. 0141-2222403, 2229314

ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : भूमि/एफ7(ड)()डीएलबी/2023/1634-1875

दिनांक : 29/03/2023

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :- राज0 नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 69-क एवं सरकारी भूमि पर रहवास कर रह रहे लोगो को पट्टे दिये जाने से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित होने पर प्रकरण चैक लिस्ट में भेजने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 69-क एवं सरकारी भूमि पर रहवास कर रह रहे लोगो को पट्टे दिये जाने से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित होने पर प्रकरण संलग्न चैकलिस्ट एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही विभाग को भिजवावें।

संलग्न:-

1. धारा 69-क के प्रकरणों हेतु चैकलिस्ट प्रारूप।
2. राजकीय भूमि के पट्टे हेतु चैकलिस्ट प्रारूप।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/2023/1876-1891

दिनांक : 29/03/2023

प्रतिलिपि:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महो., स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. प्रतिलिपि निदेशालय के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
04. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
स्वायत्त शासन विभाग

धारा 69-क के पट्टे हेतु चैकलिस्ट

निकाय का नाम

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1.	आवेदक का नाम पिता का नाम निवास पता	
2.	1. कब्जे का स्थान 2. क्षेत्रफल (व.मी.) 3. मौके पर क्या निर्माण है एवं क्या उपयोग हो रहा है? 4. मौके पर विद्यमान सड़क की चौड़ाई	
3.	वर्तमान जमाबन्दी में प्रश्नगत कब्जे की भूमि की किस्म एवं स्वामित्व क्या दर्ज हैं ? (जमाबन्दी की प्रति भेजी जावे)	
4.	प्रचलित मास्टर प्लान में भू-उपयोग क्या आरक्षित हैं?	
5.	आवेदक द्वारा पट्टा किस भू-उपयोग हेतु चाहा गया हैं?	
6.	क्या आवेदित भूखण्ड/भवन मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/ सेक्टर प्लान की प्रस्तावित/विद्यमान सड़क से प्रभावित है ? (वर्तमान मौका स्थिति एवं विद्यमान सड़क की चौड़ाई अंकित करते हुए प्रमाणित नक्शा प्रति भेजें।)	
7.	आवेदित स्थल के गुगल मानचित्र पर सुपरइम्पोजिशन की प्रमाणित प्रति	
8.	आवेदित स्थल के प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान पर सुपरइम्पोजिशन की प्रमाणित प्रति	
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत Proof of Right दस्तावेज/कब्जा सबूत विवरण :- 1. दस्तावेज नाम 2. दस्तावेज किस वर्ष के हैं 3. दस्तावेज किस स्थान के हैं 4. दस्तावेज में सम्पत्ति का दर्ज क्षेत्रफल (व.मी.) 5. दस्तावेज किस व्यक्ति के नाम के हैं (यदि आवेदक से भिन्न व्यक्ति के नाम से हैं, तो यह स्पष्ट किया जावे कि उक्त व्यक्ति का आवेदक से क्या सम्बन्ध है)	

10.	क्या प्रश्नगत कब्जा किसी योजना क्षेत्र/सड़क मार्गाधिकार/सुविधा क्षेत्र/प्रतिबन्धित क्षेत्र में हैं?	
11.	क्या प्रश्नगत कब्जे में किसी मद की पूर्व की कोई बकाया राशि है।	
12.	क्या प्रश्नगत कब्जे से सम्बन्धित कोई न्यायिक वाद विचाराधीन है।	
13.	समाचार पत्र में आपत्ति सूचना किस दिनांक को किस अखबार में जारी की गई। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त होने/नहीं होने की स्थिति स्पष्ट करे। यदि आपत्ति प्राप्त हुई है तो क्या निस्तारण किया गया। (अखबार कटिंग संलग्न करे।)	
14.	अन्य कोई विवरण, जो देना चाहे	
15.	प्रश्नगत कब्जे के नियमन के सम्बन्ध में आयुक्त/अधिशायी अधिकारी की टिप्पणी/अभिशांषा	



हस्ताक्षर
आयुक्त/अधिशायी अधिकारी

सरकारी भूमि के कब्जे के नियमन हेतु चैकलिस्ट

निकाय का नाम

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1.	आवेदक का नाम पिता का नाम निवास पता	
2.	1. कब्जे का स्थान 2. क्या उक्त स्थान पर प्रश्नगत कब्जे के समान ही अन्य कब्जे भी हैं, यदि हाँ, तो लगभग ऐसे कितने हैं?	
3.	कब्जे का कुल क्षेत्रफल (व.मी.) 1. निर्मित भाग क्षेत्रफल 2. खाली भाग क्षेत्रफल (वर्तमान मौका स्थिति एवं विद्यमान सड़क की चौड़ाई अंकित करते हुए प्रमाणित नक्शा प्रति भेजें)	
4.	1. मौके पर क्या निर्माण है? 2. कौन व्यक्ति काबिज है? 3. क्या उपयोग हो रहा है? 4. मौके पर कब्जा किस तिथि से पूर्व का है?	
5.	वर्तमान जमाबन्दी में प्रश्नगत कब्जे की भूमि की किस्म एवं स्वामित्व क्या दर्ज है? (जमाबन्दी प्रति भेजी जावे)	
6.	1. प्रचलित मास्टर प्लान में भू-उपयोग क्या आरक्षित है? 2. मौके पर विद्यमान सड़क की चौड़ाई क्या है ? 3. मास्टर प्लान/जोनल प्लान में सड़क की चौड़ाई क्या प्रस्तावित है?	
7.	क्या आवेदित भूखण्ड/भवन मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान की प्रस्तावित/विद्यमान सड़क से प्रभावित है?	
8.	आवेदित स्थल के गुगल मानचित्र पर सुपरइम्पोजिशन की प्रमाणित प्रति	
9.	आवेदित स्थल के प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान पर सुपरइम्पोजिशन की प्रमाणित प्रति	
10.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत कब्जा सबूत विवरण :- 1. दस्तावेज नाम 2. दस्तावेज किस वर्ष के है 3. दस्तावेज किस स्थान के है	

सरकारी भूमि के कब्जे के नियमन हेतु चैकलिस्ट

निकाय का नाम

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1.	आवेदक का नाम पिता का नाम निवास पता	
2.	1. कब्जे का स्थान 2. क्या उक्त स्थान पर प्रश्नगत कब्जे के समान ही अन्य कब्जे भी है, यदि हाँ, तो लगभग ऐसे कितने हैं?	
3.	कब्जे का कुल क्षेत्रफल (व.मी.) 1. निर्मित भाग क्षेत्रफल 2. खाली भाग क्षेत्रफल (वर्तमान मौका स्थिति एवं विद्यमान सड़क की चौड़ाई अंकित करते हुए प्रमाणित नक्शा प्रति भेजें)	
4.	1. मौके पर क्या निर्माण है? 2. कौन व्यक्ति काबिज है? 3. क्या उपयोग हो रहा है? 4. मौके पर कब्जा किस तिथि से पूर्व का है?	
5.	वर्तमान जमाबन्दी में प्रश्नगत कब्जे की भूमि की किस्म एवं स्वामित्व क्या दर्ज है? (जमाबन्दी प्रति भेजी जावे)	
6.	1. प्रचलित मास्टर प्लान में भू-उपयोग क्या आरक्षित है? 2. मौके पर विद्यमान सड़क की चौड़ाई क्या है ? 3. मास्टर प्लान/जोनल प्लान में सड़क की चौड़ाई क्या प्रस्तावित है?	
7.	क्या आवेदित भूखण्ड/भवन मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान की प्रस्तावित/विद्यमान सड़क से प्रभावित है?	
8.	आवेदित स्थल के गुगल मानचित्र पर सुपरइम्पोजिशन की प्रमाणित प्रति	
9.	आवेदित स्थल के प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान पर सुपरइम्पोजिशन की प्रमाणित प्रति	
10.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत कब्जा सबूत विवरण :- 1. दस्तावेज नाम 2. दस्तावेज किस वर्ष के है 3. दस्तावेज किस स्थान के है	

	4. दस्तावेज किस व्यक्ति के नाम के है (यदि आवेदक से भिन्न व्यक्ति के नाम से है, तो यह स्पष्ट किया जावे कि उक्त व्यक्ति का आवेदक से क्या सम्बन्ध है)	
11.	क्या प्रश्नगत कब्जा किसी योजना क्षेत्र/सड़क मार्गाधिकार/सुविधा क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र में है?	
12.	क्या प्रश्नगत कब्जे से सम्बन्धित कोई न्यायिक वाद विचाराधीन है ?	
13.	क्या प्रश्नगत कब्जे में किसी मद की पूर्व की कोई बकाया राशि है?	
14.	समाचार पत्र में आपत्ति सूचना किस दिनांक को किस अखबार में जारी की गई। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त होने/नहीं होने की स्थिति स्पष्ट करे। यदि आपत्ति प्राप्त हुई है तो क्या निस्तारण किया गया। (अखबार कटिंग संलग्न करे।)	
15.	अन्य कोई विवरण, जो देना चाहे।	
16.	प्रश्नगत कब्जे के नियमन के सम्बन्ध में आयुक्त/अधिशायी अधिकारी की टिप्पणी/अभिशांषा	



हस्ताक्षर

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी